नईदुनिया

खास-खबरें

शादी का झांसा देकर गलत काम

नप्र, भोपालः बागसेवनिया थाना क्षेत्र में राहुल गौड़ारे पर 29 वर्षीय रूपा सिंह राजपूत के साथ शादी का झांसा देकर गलत काम करने का आरोप लगा है। पीड़िता ने 25 जनवरी 2018 से 12 अप्रैल 2026 तक की घटना का बयान दर्ज कराया। पुलिस ने धारा 69 बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

कृष्णानगर में 80 हजार रुपये की चोरी

निशातपुरा थाना अंतर्गत कृष्णानगर कॉलोनी में अनिषेक पांडे के घर से 9 जुलाई को सोने-चांदी के जेवरात व 80 हजार रुपये की चोरी हो गई। खुले मकान से चोर अंदर घुसकर सामान लेकर फरार हो गए। पुलिस ने 303(2) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की।

रेस्टोरेंट पार्किंग से स्कूटी चोरी

टीटी नगर थाना क्षेत्र में क्वालिटी रेस्टोरेंट पार्किंग से आनंदित सोनी की स्कूटी (एमपी04एवाई6425) मूल्य 50 हजार रुपये चोरी हो गई। 8 जुलाई शाम 8:30 बजे की घटना में अज्ञात आरोपी ने वाहन उठा लिया। पुलिस ने 303(2) बीएनएस में केस दर्ज किया।

दरगाह के पास कार दुर्घटना

बागसेवनिया थाना में 5 जुलाई को दरगाह के पास कमलप्रीत की कार (एमपी04 जेडडी 1395) से तेजी से टक्कर मार दी गई। लापरवाही से वाहन चलाने वाले प्रारंभिक आरोपी कुबेर सिंह पर 281, 125ए बीएनएस के तहत मामला दर्ज।

अवैध छुरी रखने पर गिरफ्तारी

शाहपुरा थाना में शाहपुरा थाना तिराहा नगर पर 24 वर्षीय सुनमत खेरदे को अवैध छुरी रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। 25 आर्म्स एक्ट के तहत 10 जुलाई को कार्रवाई की गई।

गांधी नगर में युवक ने लगाई फांसी

गांधी नगर थाना अंतर्गत टैगोर वार्ड में 22 वर्षीय बबलेश राव पुत्र मुकेश मालवीय ने 10 जुलाई सुबह फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया।

खजूरी सड़क पर दुर्घटना में मौत

खजूरी सड़क थाना क्षेत्र में रोहित ढाबा के पास 55 वर्षीय हेमराज मीणा का एक्सीडेंट में गंभीर चोट लगने से मौत हो गई। 10 जुलाई को घटना के बाद शव अस्पताल ले जाया गया।

क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के नाम पर ठगी

ऐशबाग थाना में रविंद्र कुमार के साथ क्रेडिट लिमिट बढ़ाने के नाम पर 50 हजार रुपये की धोखाधड़ी की गई। 30 जून की घटना में अज्ञात आरोपी ने फोन पर ठगी की।

नशे के विरुद्ध जन-जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान चलाया जाएगा

15 से 30 जुलाई तक चलेगा 'नशे से दूरी है जरूरी 2.0' अभियान

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः प्रदेश में नशे के विरुद्ध जन-जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश पुलिस 15 से 30 जुलाई तक राज्यव्यापी नशामुक्ति अभियान 'नशे से दूरी है जरूरी 2.0' संचालित करेगी। अभियान को प्रभावी और व्यापक बनाने के लिए शुक्रवार को पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जोन, रेंज और जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। पुलिस महानिदेशक ने कहा कि यह अभियान केवल औपचारिक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि समाज के सभी वर्गों की भागीदारी से इसे जनआंदोलन का स्वरूप दिया जाए। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 में संचालित अभियान को अच्छा जनसमर्थन मिला था और इस बार उससे भी बेहतर परिणाम प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने अधिकारियों से नवाचार अपनाने और अधिकाधिक लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि यह अभियान भारत सरकार के गृह मंत्रालय के 'विजन डॉक्यूमेंट ऑन नारकोटिक्स कंट्रोल 2026-29' के अनुरूप संचालित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत मादक पदार्थों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई, कृत्रिम मादक द्रव्यों पर नियंत्रण, नशे की मांग में कमी, जन-जागरूकता और विभिन्न विभागों के समन्वय पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

सभी जिला पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे जिला कलेक्टर के साथ समन्वय स्थापित कर बहुविभागीय कोर समिति का गठन करें। इसमें सामाजिक न्याय, स्वास्थ्य, स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, आबकारी, नगरीय निकाय, पंचायत, श्रम, उद्योग, खाद्य तथा जनसंपर्क सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को शामिल किया जाएगा।

नगर निगम, नगर पालिका और स्थानीय निकायों के सहयोग से प्रमुख चौराहों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड तथा अन्य सार्वजनिक स्थलों पर नशामुक्ति संबंधी पोस्टर, बैनर और डिजिटल संदेश प्रदर्शित किए जाएंगे। इसके साथ ही सिनेमाघरों, एफएम रेडियो, एलईडी स्क्रीन, सामाजिक माध्यमों और सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से भी अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (नारकोटिक्स) डी. श्रीनिवास वर्मा ने बताया कि 15 दिवसीय अभियान के दौरान प्रतिदिन अलग-अलग विषयों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित होंगे। इनमें नशामुक्ति रैली, जागरूकता दौड़, शपथ ग्रहण, स्कूलों और महाविद्यालयों में व्याख्यान, लघु फिल्मों का प्रदर्शन, चित्रकला, निबंध, पोस्टर, स्लोगन और रंगोली प्रतियोगिताएं, नुक्कड़ नाटक, मानव श्रृंखला तथा जनसंवाद जैसे कार्यक्रम शामिल रहेंगे। अभियान का समापन 30 जुलाई को जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में किया जाएगा।

दिशा समिति की बैठक में हंगामा

मास्टर प्लान पर कांग्रेस विधायकों का वॉकआउट

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः जिले के बहुप्रतीक्षित मास्टर प्लान को लेकर शुक्रवार को आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक विवादों के बीच संपन्न हुई। मास्टर प्लान लागू नहीं होने का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद और आतिफ अकील ने बैठक की उपयोगिता पर सवाल उठाए। तीखी नोकझोंक के बाद दोनों विधायक बैठक का बहिष्कार कर बाहर चले गए। दिशा समिति की बैठक की अध्यक्षता सांसद आलोक शर्मा ने की। एजेंडे पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायकों ने कहा कि जब तक भोपाल का नया मास्टर प्लान लागू नहीं होता, तब तक विकास कार्यों की समीक्षा करने वाली बैठकों का अपेक्षित औचित्य नहीं रह जाता।

इसी दौरान फंदा जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रमोद सिंह राजपूत के हस्तक्षेप पर दोनों विधायकों ने आपत्ति जताई। उनका कहना था कि उनकी चर्चा सीधे सांसद से हो रही है और बीच में हस्तक्षेप उचित नहीं है। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। आरोप-प्रत्यारोप और उंगली दिखाने जैसी स्थिति बनने से करीब दस मिनट तक बैठक का माहौल तनावपूर्ण बना रहा। कांग्रेस विधायकों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि यदि उनकी बात गंभीरता से नहीं सुनी जानी है तो बैठक में बुलाने का कोई औचित्य नहीं है। इसके बाद दोनों विधायक बैठक छोड़कर बाहर चले गए। सांसद आलोक शर्मा ने उन्हें रोकने और चर्चा जारी रखने का प्रयास किया, लेकिन वे वापस नहीं लौटे।

मास्टर प्लान जल्द लागू होना जरूरीः सांसद

बैठक के बाद सांसद आलोक शर्मा ने स्वीकार किया कि भोपाल के सुव्यवस्थित और दीर्घकालीन विकास के लिए मास्टर प्लान का शीघ्र लागू होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में वे जल्द मुख्यमंत्री से मुलाकात कर मास्टर प्लान को जल्द लागू कराने का आग्रह करेंगे। बैठक में स्मार्ट सिटी परियोजना के कार्यों को लेकर भी जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों से जवाब-तलब किया। भाजपा विधायक भगवानदास सबनानी ने परियोजना की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि बड़े निर्माण कार्यों के बावजूद कई परिसरों में अब भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है।

आरजीपीवी पेपर चोरी कांड, परीक्षा नियंत्रक ने प्रबंधन पर उठाए सवाल

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (आरजीपीवी) के यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट (यूटीडी) में बीटेक चतुर्थ सेमेस्टर के नौ सीलबंद प्रश्नपत्रों के लिफाफे चोरी होने के मामले की जांच अभी तक किसी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी है। घटना के कई दिन बाद भी पुलिस आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है, जबकि विश्वविद्यालय की आंतरिक जांच समिति भी मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। इसी बीच परीक्षा नियंत्रक डॉ. अर्चना तिवारी ने कुलगुरु प्रो. आलोक शर्मा को अपना लिखित स्पष्टीकरण सौंप दिया है। उन्होंने अपने जवाब में कहा है कि पिछले सात वर्षों से परीक्षा नियंत्रक के रूप में उन्होंने पूरी पारदर्शिता और निर्धारित नियमों के तहत परीक्षाओं का संचालन कराया है।

बिना परमिशन निगम की दुकानों पर बन रहा पार्षद का निजी दफ्तर ध्वस्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः नगर निगम ने शुक्रवार सुबह आनंद नगर में निगम की दुकानों के ऊपर बनाए जा रहे अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई पुलिस बल की मौजूदगी में की गई। जिस निर्माण को हटाया गया, वह वार्ड-62 के भाजपा पार्षद राजेश चौकसे द्वारा निजी कार्यालय के रूप में कराया जा रहा था। नगर निगम की बिल्डिंग परमिशन शाखा के अनुसार आनंद नगर चौराहे पर सड़क किनारे स्थित निगम की दुकानों की छत पर करीब 450 वर्गफुट क्षेत्र में बिना अनुमति निर्माण किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान पूरे अवैध निर्माण को हटाकर निगम की करीब 30 लाख रुपये मूल्य की शासकीय संपत्ति को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। नगर निगम ने स्पष्ट किया कि शासकीय संपत्तियों पर किसी भी प्रकार का अवैध निर्माण या अतिक्रमण स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसे मामलों में नियमानुसार कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। कार्रवाई के दौरान पार्षद राजेश चौकसे भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि सड़क चौड़ीकरण के दौरान उनका कार्यालय हट गया था। क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुनने के लिए वे निगम की दुकानों के ऊपर कार्यालय बनवा रहे थे। उनका दावा है कि इस संबंध में उन्होंने नगर निगम आयुक्त संस्कृति जैन से मौखिक अनुमति ली थी, लेकिन इसके बावजूद निगम ने निर्माण तोड़ दिया। हालांकि नगर निगम की ओर से इस मामले में मौखिक अनुमति के दावे की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

20 लाख से दो विकास कार्यों के लिए भूमिपूजन

वार्ड 4 में विकास कार्य कराए जा रहेः रामेश्वर

नईदुनिया प्रतिनिधि, हिनप्रः वार्ड चार में 20 लाख लागत से होने वाले विकास कार्यों के लिए शुक्रवार को भूमिपूजन हुआ। विधायक रामेश्वर शर्मा एवं नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने अतिथि के रूप में विकास कार्यों की शुरूआत की। वार्ड पार्षद राजेश हिंगोरानी ने वार्ड के समग्र विकास का संकल्प दोहराया। बता दे वार्ड में झूलेलाल मंदिर के शौचालय का आधुनिकीकरण एवं भोला सोडा के सामने वाली सड़क का निर्माण कार्य किया जाएगा। विधायक शर्मा ने कहा कि ये कार्य वार्ड के समग्र विकास को नई गति देंगे और स्थानीय निवासियों को बड़ी राहत पहुँचाएंगे। निगम अध्यक्ष सूर्यवंशी ने वार्ड चार में विकास कार्यों के लिए पार्षद की मेहनत की सराहना की। उन्होंने कहा नगर निगम का लक्ष्य जनता की अपेक्षाओं को पूरा करना है। कार्यक्रम के अंत में हिंगोरानी ने आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वार्ड 4 को स्वच्छ, सुंदर और सर्वसुविधायुक्त बनाने के लिए वे निरंतर प्रयासरत हैं।

महिला का शव मिला, हत्या की आशंका

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः छोला मंदिर थाना क्षेत्र के कल्याण नगर में शुक्रवार को 50 वर्षीय महिला का शव उसके घर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। महिला के शरीर पर चोट के कई निशान मिलने के बाद पुलिस हत्या की आशंका के आधार पर जांच कर रही है। एफएसएल टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं, जबकि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार मृतका की पहचान ममता उर्फ मठरीबाई जाटव (50) के रूप में हुई है। वह घर में अकेली रहती थीं। उनके पति मंडीदीप में रहते हैं। उनकी तीन बेटियों की शादी हो चुकी है, जबकि चौथी बेटी अलग रहती है।

पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि बुधवार से महिला के घर का दरवाजा नहीं खुला था। शुक्रवार को भी काफी देर तक कोई हलचल नहीं होने पर उन्हें संदेह हुआ। आवाज लगाने पर भीतर से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद दरवाजे को धक्का दिया गया, जो खुल गया। अंदर कमरे में महिला का शव जमीन पर पड़ा मिला। सूचना मिलने पर छोला मंदिर थाना पुलिस मौके पर पहुंची।

छोला मंदिर थाने के एएसआई महेश सरियाम ने बताया कि प्रारंभिक जांच में महिला के सिर, दाएं कान और पैरों पर चोट के निशान मिले हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए हत्या की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि मौत के वास्तविक कारण का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही होगा। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।

संतनगर की समस्याओं को कलेक्टर के समक्ष रखा

पंचायत के प्रतिनिधिमंडल ने की फाटक रोड विस्थापित व्यापारियों के पुर्नवास की मांग

नईदुनिया प्रतिनिधि, हिनप्रः संत हिरदाराम नगर (बैरागढ़) की समस्याओं के निराकरण के लिए कांग्रेस नेता नरेश ज्ञानचंदानी के नेतृत्व में पूज्य सिंधी पंचायत के एक प्रतिनिधिमंडल ने कलेक्टर प्रियंक मिश्रा से मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा गया। प्रतिनिधि मंडल ने फाटक रोड के विस्थापित व्यापारियों का पुनर्वास की मांग रखी। कलेक्टर को बताया गया कि फाटक रोड पर ओवरब्रिज निर्माण के कारण जिन व्यापारियों की दुकानें तोड़ी गई थीं, वे पिछले 39 महीनों से बेरोजगार हैं। वैध मालिकाना हक के दस्तावेज होने के बावजूद उन्हें अब तक वैकल्पिक जगह नहीं मिली है, जिससे कई परिवार पालन मुश्किल हो रहा है। प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें तत्काल जगह आवंटित करने की मांग की ताकि वे अपनी आजीविका दोबारा शुरू कर सकें। शहर में चल रहे एलिवेटेड ब्रिज के काम की वजह से दिनभर भारी जाम की स्थिति बनी रहती है। जनता को इस परेशानी से बचाने के लिए 'बड़ा तालाब' के किनारे से एक वैकल्पिक मार्ग (डाइवर्टेड रूट) निकालने का सुझाव दिया गया, ताकि ब्रिज का काम भी न रुके और यातायात भी सुचारू रहे।

कलेक्टर ने निदान का आश्वासन

भोपाल कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने प्रतिनिधिमंडल की सभी बातों को बेहद गंभीरता से सुना। उन्होंने फाटक रोड के व्यापारियों के पुनर्वास, ट्रैफिक जाम के लिए वैकल्पिक मार्ग और वन ट्री हिल्स के लीज मामले को जल्द से जल्द सुलझाने और इस पर तत्काल उचित कदम उठाने का ठोस आश्वासन दिया है। प्रतिनिधि मंडल में शेरू रीझवानी उपाध्यक्ष, पूज्य सिंधी पंचायत, राजकुमार वाधवानी महासचिव, लक्ष्मणदास आसनानी व्यापारी, फाटक रोड, वासदेव दामानी व्यापारी व अन्य शामिल थे।

शिव नगर बस्ती में स्वास्थ्य जांच के साथ दवाओं का निःशुल्क वितरण

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के सेवा सप्ताह के अंतर्गत नया भोपाल के अंबेडकर प्रखंड द्वारा नीलबड़ के समीप शिव नगर बस्ती में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर एवं औषधि वितरण का आयोजन किया गया। शिविर में महिलाओं से संबंधित रोगों, मधुमेह तथा सामान्य स्वास्थ्य की जांच की सुविधा उपलब्ध कराई गई। अनुभवी चिकित्सकों ने स्वास्थ्य परीक्षण के बाद जरूरतमंदों को निःशुल्क औषधियों का वितरण भी किया। कार्यक्रम में प्रांत संयोजक अवधेश तिवारी, विभाग संयोजक अभिजीत राजपूत, जिला मंत्री मोहित सोनी, जिला संयोजक रोहित श्रीवास, जिला सह मंत्री दौलत कुशवाहा, जिला सेवा प्रमुख जीतू बंजारा, प्रखंड अध्यक्ष शैलेंद्र तिलक, प्रखंड मंत्री पवन शर्मा, प्रखंड संयोजक अनिल चौधरी, प्रखंड सह संयोजक विकास मालवीय तथा सह मंत्री आयुष तिलक सहित बजरंग दल के अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल, नया भोपाल के पदाधिकारियों ने नागरिकों से ऐसे स्वास्थ्य शिविरों का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की।

नाम परिवर्तन सूचना

मैं मोहम्मद इबाद पिता सै. तारिक अली निवासी- मकान नं. 104, नशेमन-12, जीनत ब्लॉक, नियर सिविल कोर्ट शाहजहानाबाद भोपाल (मध्य प्रदेश) घोषणा करता हूं कि मेरे पूर्व पासपोर्ट में मेरे एवं मेरे पिता का नाम एवं स्पेलिंग MOHAMMED IBAAD S/O SYED TARIQUE ALI लिखी है जो अब वर्तमान में बदलकर सही नाम एवं स्पेलिंग MOHAMMAD IBAAD S/O SYED TARIQ ALI हो गई है अब मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जाए।

902

नाम परिवर्तन सूचना

मैं Syed Darain Sharaf S/O Syed Iqtadar Tanweer निवासी- 36-ए सनराइज कॉलोनी ईदगाह हिल्स, पुलिस स्टेशन शाहजहानाबाद भोपाल (मध्य प्रदेश) 462001 घोषणा करता हूं कि मेरे पिता का नाम Syed Iqtedar Tanweer से बदलकर Syed Iqtadar Tanweer हो गया है वर्तमान में अब मुझे मेरे पूरे एवं सही नाम Syed Darain Sharaf S/O Syed Iqtadar Tanweer से जाना व पहचाना जाए।

903

न्यायालय तहसीदार तहसील हुजूर जिला भोपाल

प्रकरण क्रमांक-0006/अ-70/2026-27
ग्राम-समसपुरा
दिनांक-08/07/2026

सूचना पत्र

राजीव गुप्ता पिता स्व. श्री विनय कुमार गुप्ता निवासी एम 3/2 अम्बर कॉम्प्लेक्स जोन-2 एमपी नगर भोपाल,...**विरुद्ध**....01 श्रीमती कौशल्या बाई पुत्री मेहरबान सिंह पत्नी संजय सिंह निवासी मकान न. 21 शांति विहार, रातीबड़ तहसील हुजूर जिला भोपाल,

एतद् द्वारा आप सभी अनावेदकगण को सूचित किया जाता है। कि आवेदक राजीव गुप्ता पिता स्व. श्री विनय कुमार गुप्ता निवासी एम 3/2 अम्बर कॉम्प्लेक्स जोन 2 एमपी नगर भोपाल म.प्र. द्वारा भू-राजस्व संहिता की धारा 250 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर आवेदक के स्वत्व एंव स्वामित्व की भूमि स्थित ग्राम समसपुरा प.ह.न. 74 तहसील हुजूर जिला भोपाल, का सीमांकन प्रकरण क्रमांक 0322/अ-12/2025-2026 द्वारा किए गए सीमांकन में खसरा क्रमांक 126/3 रकबा 0.8000 हे. भूमि पर अनावेदकगण श्रीमती कौशल्या बाई पुत्री मेहरबान सिंह पत्नी संजय सिंह निवासी मकान न. 21 शांति विहार रातीबड़ तहसील हुजूर जिला भोपाल का कब्जा होने के कारण सूचना पत्र जारी किये गये थे। परंतु आपको तामिल न होने के कारण आपको सूचना के माध्यम से प्रकाशित आहूत किया जा रहा है। प्रकरण नियत पेशी दिनांक 21/07/26 नियत है जिसमें आप उपस्थित होकर अपना अभिमत पक्ष रख सकते है। आपकी अनुपस्थिति में यह मान इसके अधार पर आपके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर प्रकरण मे अग्रिम कार्यवाही की जावे। उक्त उद्घोषणा पत्र मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एवं मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 08/07/26 को जारी किया गया ।

तहसीलदार
तहसील हुजूर,जिला भोपाल

901

कार्यालय भोपाल विकास प्राधिकरण,भोपाल
आम सूचना

क्रमांक 425/राजस्व/भौविप्रा/26
भोपाल दिनांक 09/07/2026

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है, कि प्राधिकरण की महाराणा प्रताप नगर जोन-01, स्थित भूखण्ड क्रमांक-132-सी, का लीज नवीनीकरण दिनांक 27/07/2012 को श्री महेन्द्र सिंह यादव आ. श्री डी.एस. यादव के नाम पर निष्पादित किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा प्रथम अपील क्रमांक-918/2006, में पारित निर्णय के अनुसार उक्त भूखण्ड के अर्द्धभाग का नामान्तरण/नाम सम्मिलित, श्री विजेन्द्र सिंह आ. स्व. श्री डी.एस. यादव के नाम पर किया गया है। श्री विजेन्द्र सिंह द्वारा सर्च रिपोर्ट प्रस्तुत कर अपने आवेदन पत्र में उल्लेख किया गया है, कि निष्पादित लीज नवीनीकरण दिनांक 27/07/2012 को जिला पंजीयक कार्यालय में पंजीकृत नहीं किया गया है तथा उक्त अर्द्धभाग का लीज नवीनीकरण उनके नाम पर करने का निवेदन किया गया है। उक्त संबंध में किसी व्यक्ति/उत्तराधिकारी को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशित होने की दिनांक से सात दिवस के अन्दर लिखित एवं साक्ष्य/दस्तावेजों के साथ इस कार्यालय में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अपनी आपत्ति/दावा प्रस्तुत करें। उक्त समयावधि के पश्चात् कोई भी दावा/आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी, तथा प्राधिकरण नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वंतत्र रहेगा।

राजस्व अधिकारी
भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल

893

न्यायालय तहसीदार वृत्त-3 तहसील-हुजूर जिला भोपाल

प्रकरण क्रमांक- 1537/अ-12/2025-26
मौजा-सेमरी बाज्यफ्त

उद्घोषणा पत्र

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है। कि आवेदक विधानन्द चौधरी S/O त्रिभुवन चौधरी निवासी सेमरी बाज्यफ्त भोपाल म.प्र. ने द्वारा म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सीमांकन पत्र के आधार पर भूमि खसरा क्रमांक 289/1,290/4 रकबा 0.2000, 0.4000 हे. स्थित ग्राम सेमरी बाज्यफ्त प.ह.न. 73 तहसील हुजूर जिला भोपाल का सीमांकन दिनांक 10/03/26 किया गया है। सीमांकन की पुष्टि हेतु न्यायालय में प्राप्त उक्त संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से प्रकरण में नियत पेशी दिनांक 17/07/26 को या इससे पूर्व इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है। समयावधि पश्चात् उक्त उद्घोषणा पत्र मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एंव मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 10/07/26 को जारी किया गया।

तहसीलदार
तहसील हुजूर भोपाल

894

न्यायालय तहसीदार वृत्त-3 तहसील-हुजूर जिला भोपाल

प्रकरण क्रमांक- 1538/अ-12/2025-26
मौजा-सेमरी बाज्यफ्त

उद्घोषणा पत्र

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है। कि आवेदक सरोज मण्डलोई W/O एल.डी. मंडलोई निवासी सेमरी बाज्यफ्त भोपाल म.प्र. ने द्वारा म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सीमांकन पत्र पत्र के आधार पर भूमि खसरा क्रमांक 254/2, 255/2, 255/3, 256/1, 257/2, 259/3, 290/1, 292/1 कुल रकबा 1.2100 हे. स्थित ग्राम सेमरी बाज्यफ्त प.ह.न. 73 तहसील हुजूर जिला भोपाल का सीमांकन दिनांक 10/03/26 किया गया है। सीमांकन की पुष्टि हेतु न्यायालय में प्राप्त उक्त संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से प्रकरण में नियत पेशी दिनांक 17/07/26 को या इससे पूर्व इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है। समयावधि पश्चात् उक्त उद्घोषणा पत्र मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एंव मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 10/07/26 को जारी किया गया।

तहसीलदार
तहसील हुजूर भोपाल

895

न्यायालय तहसीदार वृत्त-3 तहसील-हुजूर जिला भोपाल

प्रकरण क्रमांक- 1535/अ-12/2025-26
मौजा-सेमरी बाज्यफ्त

उद्घोषणा पत्र

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है। कि आवेदक मधु चौधरी W/O विधानन्द चौधरी व अन्य नि. सेमरी बाज्यफ्त जिला भोपाल म.प्र. ने द्वारा म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सीमांकन पत्र पत्र के आधार पर भूमि खसरा क्रमांक 260/3, 261/2, 287,288,289/2, 290/5, 291/3 कुल रकबा 0.8000 हे. स्थित ग्राम सेमरी बाज्यफ्त प.ह.न. 73 तहसील हुजूर जिला भोपाल का सीमांकन दिनांक 10/03/26 किया गया है। सीमांकन की पुष्टि हेतु न्यायालय में प्राप्त उक्त संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से प्रकरण में नियत पेशी दिनांक 17/07/26 को या इससे पूर्व इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है। समयावधि पश्चात् उक्त उद्घोषणा पत्र मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एंव मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 10/07/26 को जारी किया गया।

तहसीलदार
तहसील हुजूर भोपाल

896

न्यायालय तहसीदार वृत्त-3 तहसील-हुजूर जिला भोपाल

प्रकरण क्रमांक- 1534/अ-12/2025-26
मौजा-सेमरी बाज्यफ्त

उद्घोषणा पत्र

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है। कि आवेदक स्वपनिल चौधरी S/O विधानन्द चौधरी नि.सेमरी बाज्यफ्त भोपाल म.प्र. ने द्वारा म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सीमांकन पत्र पत्र के आधार पर भूमि खसरा क्रमांक 254/1, 256/2, 255/2 कुल रकबा 0.4000,0.0600 0.0200 हे. स्थित ग्राम सेमरी बाज्यफ्त प.ह.न. 73 तहसील हुजूर जिला भोपाल का सीमांकन दिनांक 10/03/26 किया गया है। सीमांकन की पुष्टि हेतु न्यायालय में प्राप्त उक्त संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से प्रकरण में नियत पेशी दिनांक 17/07/26 को या इससे पूर्व इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है। समयावधि पश्चात् उक्त उद्घोषणा पत्र मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एंव मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 10/07/26 को जारी किया गया।

तहसीलदार
तहसील हुजूर भोपाल

897

न्यायालय तहसीदार वृत्त-3 तहसील-हुजूर जिला भोपाल

प्रकरण क्रमांक- 1533/अ-12/2025-26
मौजा-सेमरी बाज्यफ्त

उद्घोषणा पत्र

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है। कि आवेदक जपनारायण S/O स्व. हरिप्रसाद व अन्य नि.सेमरी बाज्यफ्त भोपाल म.प्र. ने द्वारा म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सीमांकन पत्र पत्र के आधार पर भूमि खसरा क्रमांक 249/2,258/2, 259/2 रकबा 0.1900,0.5300 0.02800 हे. स्थित ग्राम सेमरी बाज्यफ्त प.ह.न. 73 तहसील हुजूर जिला भोपाल का सीमांकन दिनांक 10/03/26 किया गया है। सीमांकन की पुष्टि हेतु न्यायालय में प्राप्त उक्त संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से प्रकरण में नियत पेशी दिनांक 17/07/26 को या इससे पूर्व इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश कर सकता है। समयावधि पश्चात् उक्त उद्घोषणा पत्र मेरे द्वारा न्यायालय की पदमुद्रा एंव मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 10/07/26 को जारी किया गया।

तहसीलदार
तहसील हुजूर भोपाल

898

कार्यालय रजिस्ट्रीकरण अधिकारी दुर्गेश विहार रहवासी रखरखाव सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल

(पंजी. क्र./डी.आर. बी./1463,
दिनांक 23.09.2020)
क्रमांक/रजि.अ./2026/02
दिनांक: 09.07.2026

सूचना

सूचित किया जाता है कि, संस्था के संचालक मण्डल के सदस्यों का निर्वाचन विशेष साधारण सम्मिलन में सम्पन्न होना है। अतः संस्था की सदस्यता सूची का प्रकाशन संस्था कार्यालय के नोटिस बोर्ड, कार्यालय उप-आयुक्त सहाकारिता, भोपाल, विकास खण्ड फंदा, भोपाल को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लिमिटेड, शाखा एच.ई.टी. पिपलानी, भोपाल एवं भारतीय स्टेट बैंक, भोपाल शाखा मिनाल, भोपाल के सूचना पटल पर दिनांक 09/07/2026 को किया गया है। यदि किसी भी सदस्य को इस पर कोई दावा या आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो दिनांक 09/07/2026 से दिनांक 17/07/2026 तक मुझको कार्यालयीन समय दोपहर 12.00 बजे से 03.00 बजे तक कार्यालय उपायुक्त सहकारिता, (डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय) भोपाल में सप्रमाण लिखित में प्रस्तुत कर सकते हैं। प्राप्त दावे एवं आपत्तियों का निराकरण कार्यालय उपायुक्त, सहकारिता, (डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय), भोपाल में दिनांक 18/07/2026 को दोपहर 12.00 बजे से किया जावेगा। सूचना संस्था के समस्त सदस्यों को साधारण डाक द्वारा पृथक से प्रेषित की गई है।

(मीरा देवी)
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी दुर्गेश विहार रहवासी रखरखाव सहकारी संस्था मर्यादित, भोपाल

899

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि, मेरे पक्षकार ने श्री प्रदीप कुमार सोनी पुत्र श्री एन.पी. सोनी निवासी म.नं. 182, ए सेक्टर, इन्द्रपुरी, भोपाल के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य का एक फ्लेट/प्रकोष्ठ क्रमांक टी-01 तृतीय तल, प्लाट नम्बर-46, अर्चना टॉवर, सी-सेक्टर, इन्द्रपुरी, हुजूर, भोपाल, म.प्र. नगर निगम वार्ड क्रमांक 67, तहसील हुजूर जिला भोपाल में मुख्य मार्ग से अन्दर स्थित है। उक्त फ्लेट/प्रकोष्ठ क्षेत्रफल 1200 वर्गफिट अर्थात 111.52 वर्गमीटर है। जिनकी चतुर्थ सीमाएँ निम्नानुसार है:-दिशा पूरब में ब्लो कॉलोनी रोड, दिशा पश्चिम में संपत्ति प्लाट क्रमांक 47 की, दिशा उत्तर में ब्लो कॉलोनी रोड, दिशा दक्षिण में फ्लेट/प्रकोष्ठ क्रमांक टी-02, है। यह कि मेरे पक्षकार के द्वारा उक्त फ्लेट/प्रकोष्ठ क्रमांक टी-01 को क्रय करने हेतु अग्रिम बयाना राशि का भुगतान कर दिया गया है तथा विक्रय पत्र का पंजीयन होना शेष है। अतः उक्त वर्णित फ्लेट/प्रकोष्ठ के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था, फर्म, सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालय को कोई आपत्ति हो या उक्त संपत्ति कहीं दान, बंधक, गिरवी, हस्तांतरण, अनुबंधित इत्यादि हो या किसी व्यक्ति का हित हो तो वह व्यक्ति, संस्था इत्यादि मय दस्तावेज के सूचना प्रकाशन के 7 दिवस में मुझसे मेरे मोबाईल नम्बर पर संपर्क कर आपत्ति प्रस्तुत करे। अन्यथा मेरा पक्षकार उक्त फ्लेट/प्रकोष्ठ का पंजीयन विक्रय पत्र कराने के लिये स्वतंत्र होगा। समयावधि निकल जाने के पश्चात कोई भी आपत्ति मान्य व स्वीकार नहीं होगी।

अशोक कुमार दुबे,अधिवक्ता
कार्यालय पता- म.नं.-28, जोगीपुरा, बरखेड़ी, भोपाल
मोबाईल नम्बर- 9926980921

900